

- 05- राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

§ एम० एल० आर्य §

अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठानंकन क्रमांक स्फ 73-125/20-3/2003

भोपाल, दिनांक-23/अप्रैल-2004

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र० भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - ततना §म०प्र०§ ।
3. प्राचार्य, अशा० ब्लूमन्त अकादमी स्कूल- ततना §मध्यप्रदेश§ ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेचित है ।

- 4- आर्डर बुक ।

अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

//मानकर//

28-04-04

//19-04-2004//